

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 05.02.14 (बुधवार) को सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- संघारित।

बैठक में आई0एल0 एण्ड एफ0एस0, नई दिल्ली तथा सी0ई0एस0, कोलकाता के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इनकी अनुपस्थिति के लिए उप निदेशक, गुलजारबाग इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। बैठक में सर्वे मानचित्रों का डिजिटাইजेशन तथा आधुनिक तकनीक से री-सर्वे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में योजनावार स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

1. सर्वे मानचित्रों का डिजिटাইजेशन :-

उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा राजस्व मानचित्रों का डिजिटাইजेशन कार्य का वितरण कुल 04 एजेंसियों को किया गया है। समीक्षा के क्रम में एजेंसीवार स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

एजेंसी का नाम	अब तक कुल आवंटित जिलों की संख्या	कार्य समाप्त किए गए जिलों की संख्या	.shp में प्राप्त डाटा	पी0डी0एफ0 कन्वर्जन की स्थिति	अगले सप्ताह का प्रस्तावित लक्ष्य
सी0ई0एस0, कोलकाता	शेखपुरा, नालंदा, अररिया, कटिहार एवं औरंगाबाद = 05 जिला	नालंदा एवं शेखपुरा = 02 जिला अररिया और कटिहार जिले का कार्य आंशिक रूप से शेष रह गया है।	नालंदा एवं शेखपुरा	नालंदा एवं शेखपुरा	अररिया एवं कटिहार का PDF डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।
इंफोटेक इंटरप्राइजेज	मुंगेर, जहानाबाद, नवादा, सीतामढी शिवहर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई वैशाली, सहरसा, सुपौल, अरवल एवं किशनगंज = 13 जिला	मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, नवादा एवं वैशाली = 06 जिला	लखीसराय, जमुई एवं बेगूसराय	लखीसराय, जमुई एवं बेगूसराय	वैशाली का PDF एवं .shp डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।
आई0एल0 एण्ड एफ0एस	पटना, भागलपुर, सारण, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, गया, सिवान एवं समस्तीपुर = 12 जिला	भागलपुर, पटना, सारण एवं सिवान = 04 जिला	भागलपुर, पटना, सारण एवं सिवान का आंशिक रूप से डाटा प्राप्त।	पटना, सारण, सिवान एवं समस्तीपुर – जनवरी, 2014 के अंत तक	
माइक्रोनेट सोल्यूशन्स	बाँका, खगड़िया, सुपौल, पूर्णियाँ = 04 जिला	खगड़िया, पूर्णिया एवं सुपौल = 03 जिला	खगड़िया, पूर्णिया एवं सुपौल आंशिक कार्य शेष है।	खगड़िया, पूर्णिया एवं सुपौल आंशिक कार्य शेष है।	पूर्णियाँ एवं सुपौल के शेष राजस्व ग्रामों का डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।

समीक्षा के क्रम में पी0एम0यू0 के प्रोग्रामर द्वारा यह जानकारी दी गयी कि एजेंसियों द्वारा समर्पित सॉफ्ट कॉपी की जांच से यह पाया गया कि सारण, सिवान, शेखपुरा जिला के सभी राजस्व ग्रामों का डिजिटल मानचित्र एजेंसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उप निदेशक, गुलजारबाग को यह निदेश दिया गया कि एजेंसियों से सॉफ्ट कॉपी की प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व होगा कि एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रूप से संबंधित जिला के सभी राजस्व ग्रामों के सभी शीट का सॉफ्ट कॉपी समर्पित किया जाए। किसी भी जिला के कुल राजस्व शीट की गणना का उत्तरदायित्व उप निदेशक, गुलजारबाग का होगा। सॉफ्ट कॉपी की तकनीकी गुणवत्ता यथा रकबा, यू0टी0 एरिया से मिलान, भौगोलिक चिन्ह इत्यादि की जांच का दायित्व तकनीकी कर्मियों का होगा।

इस कार्यक्रम को फरवरी, 2014 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उप निदेशक, गुलजारबाग को निदेश दिया गया कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में यदि किसी एजेंसी द्वारा शिथिलता बरती जा रही हो तो संबंधित एजेंसी से कारण पृच्छा प्राप्त करते हुए उस एजेंसी को आवंटित जिला का कार्य किसी अन्य एजेंसी को आवंटित कर दिया जाए।

2. सॉफ्ट कॉपी का सत्यापन :-

डिजिटल राजस्व मानचित्र के सॉफ्ट कॉपी के सत्यापन कार्य हेतु पूर्व से समिति गठित है। उप निदेशक, गुलजारबाग को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन किए जा रहे सत्यापन कार्य का प्रतिवेदन तैयार कर अनिवार्य रूप से संचिकाबद्ध किया जाए। साथ ही जिन वरीय पदाधिकारियों द्वारा रैण्डम सत्यापन किया जाए, उनके मंतव्य को भी संचिका में संधारित कर ली जाए।

सत्यापन कार्य में प्रतिनियुक्त प्रोग्रामर एवं अन्य कर्मियों का यह दायित्व होगा कि .shp अथवा PDF डाटा के सत्यापन के समय यदि कोई विषमता पायी जाए, तो उसकी लिखित जानकारी उप निदेशक, गुलजारबाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी प्रतिलिपि के माध्यम से सूचित किया जाए।

सत्यापन कार्य हेतु गठित समिति में एन0आई0सी0 द्वारा अभी तक किसी तकनीकी अधिकारी को प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है। इस संबंध में श्री विनय कुमार ठाकुर, वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, नई दिल्ली को पुनः सूचित भी किया गया है, किन्तु श्री संजय कुमार, तकनीकी अधिकारी, एन0आई0सी0, पटना द्वारा बताया गया कि नई दिल्ली मुख्यालय से इस संबंध में अभी तक कोई भी निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

3. री-सर्वे मानचित्रों का निर्माण :-

बैठक में आई0आई0सी0 टेक्नोलोजी लि0, हैदराबाद के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा निम्नलिखित बंदोबस्त कार्यालयों को निम्न प्रकार री-सर्वे मानचित्रों की आपूर्ति कर दी गयी है :-

बंदोबस्त कार्यालय का नाम	उपलब्ध कराए गए री-सर्वे मानचित्रों की संख्या	बंदोबस्त कार्यालय द्वारा सत्यापित मानचित्रों की संख्या	खानापूरी कार्य की प्रगति	एजेंसी का नाम
बेगूसराय	366 ग्राम	170 ग्राम	11 ग्राम	आई0आई0सी0 टेक्नोलोजी, हैदराबाद
खगड़िया	82 ग्राम	16 ग्राम	3 ग्राम में प्रगति	
लखीसराय	03 ग्राम	03 ग्राम	शून्य	
शेखपुरा	04 ग्राम	04 ग्राम	शून्य	आई0एल0 एण्ड एफ0एस0
नालंदा	49 ग्राम	49 ग्राम	28 ग्राम	
कुल योग	504 ग्राम	242 ग्राम	42 ग्राम	

री-सर्वे मानचित्रों की उपलब्धता की तुलना में बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा खानापूरी कार्य समाप्त करने में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखायी जा रही है। इस संबंध में संबंधित प्रभारी पदाधिकारियों से यह जानकारी मांगने का निदेश दिया गया कि प्राप्त मानचित्र के आधार पर खानापूरी कार्य में विलंब क्यों हो रहा है ?

4. खानापूरी कार्य के दौरान अभिलेख में अंकों की प्रविष्टि :-

समीक्षा के दौरान एजेंसियों द्वारा यह जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि बेगूसराय जिला में खानापूरी पर्चा में रकबा, खेसरा सं0 इत्यादि की प्रविष्टि में हिन्दी के अंक का उपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में सभी बंदोबस्त कार्यालयों को यह निदेश दिया जाएगा कि भू-अभिलेख तथा मानचित्र में अंक की प्रविष्टि सदैव अंग्रेजी के अंकों में की जाएगी।

5. राज्य योजना मद में उपलब्ध अवशेष राशि का प्रत्यर्पण :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में री-सर्वे कार्य हेतु 1100.00 लाख तथा डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार के भवन निर्माण कार्य हेतु 2149.87 लाख रुपये का उद्व्यय तथा उपबंध प्राप्त है। सहायक निदेशक को यह निदेश दिया गया कि 31 मार्च, 2014 तक के संभावित व्यय का आकलन करते हुए अवशेष राशि को प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव उपस्थापित करावें ताकि योजना एवं विकास विभाग को उद्व्यय प्रत्यर्पित किया जा सके।

6. एजेंसियों द्वारा संशोधित मानचित्र तैयार करने के लिए अंचलस्तरीय डाटा केन्द्र का उपयोग :-

एजेंसियों द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी कि निदेशालय के मार्गदर्शन के आलोक में उनके द्वारा री-सर्वे मानचित्रों में आवश्यक संशोधन का कार्य अंचलस्तरीय डाटा केन्द्रों में किया जा रहा है। उक्त डाटा केन्द्रों को संबंधित बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा अवकाश के दिनों में बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण एजेंसियों का कार्य बाधित हो रहा है।

इस संबंध में सभी बंदोबस्त कार्यालयों को सूचित कर दिया जाए कि यदि कार्यहित में एजेंसी अवकाश के दिनों में कार्य करती है, तो उन्हें डाटा केन्द्रों का उपयोग करने दिया जाए और उक्त दिन चतुर्थ वर्ग के किसी कर्मचारी को अलग से प्रतिनियुक्त कर दिया जाए।

7. री-सर्वे कार्यक्रम के क्रम में अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख की वेबसाईट पर उपलब्धता :-

बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा द्वारा कतरीसराय अंचल के सैदपुर राजस्व ग्राम के भू-अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। पारदर्शिता एवं अधिक से अधिक भू-धारियों को उक्त अभिलेखों से अवगत कराने के उद्देश्य से वेबसाईट पर अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। बैठक में उपस्थित एन0आई0सी0 के तकनीकी अधिकारी से विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि विभागीय वेबसाईट पर www.lrc.bih.nic.in पर अलग से एक Link Creat करते हुए विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख (त्वत्) के प्रकाशन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए विभागीय आई0टी0 मैनेजर एन0आई0सी0 सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करेंगे।

अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख की सत्यापित सी0डी0 संबंधित बंदोबस्त पदाधिकारी अथवा प्रभारी पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर के साथ पत्र के माध्यम से राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को उपलब्ध कराएँगे एवं एन0आई0सी0 द्वारा उक्त डाटा को विभागीय वेबसाईट के लिंक पर प्रकाशित किया जाएगा।

7. अन्यान्य :-

वर्तमान में पायलट आधार पर पटना एवं नालंदा जिला के राजस्व मानचित्रों के ऑन लाईन आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य हेतु पटना सदर अंचल एवं नालंदा सदर अंचल के डाटा इंटी ऑपरेटर को बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग में प्रतिनियुक्त कर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना है। अतएव समाहर्ता, पटना एवं नालंदा को इस कार्य हेतु पत्र के माध्यम से निदेशित किया जाए।

पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि खानापूरी कार्य के दौरान उजरत भोगी अमीनों को लक्ष्य आधारित पारिश्रमिक पर कार्य आवंटित किया जाए। ऐसा करने पर संबंधित अमीनों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। इस संबंध में बंदोबस्त पदाधिकारियों से अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता/बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बेलट्रॉन, पटना/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 मुख्यालय, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना - 7/जी0आई0एस0 सलाहकार/एल0आई0एस0 सलाहकार, पी0एम0यू0/सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- IIC Technologies Ltd., Hyderabad/ IL&FS Environmental Infrastructure Services Ltd., New Delhi/ GIS Consortium India Pvt Ltd. Delhi/ INFOTECH ENTERPRISES LIMITED, Plot No.- 11, Software Units Layout, Infocity, Madhapur, Hyderabad/ Micronet Solutions Civil Lines, Nagpur/ CES Kolkata को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012-254

पटना, दिनांक :- 12/02/14

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक